भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1587
01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

घरेलू इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देना

1587. श्री अखिलेश प्रसाद सिंहः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीएम गतिशक्ति और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) में उल्लिखित अवसंरचना विकास लक्ष्यों के अंतर्गत घरेलू इस्पात उत्पादन बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;
(ख) हरित इस्पात उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रोत्साहन देने की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) कार्बन-प्रधान विधियों को छोड़कर अन्य विधियां अपनाने के लिए उद्योग की सहायता हेतु क्या प्रोत्साहन उपलब्ध हैं; और
(घ) इस्पात उत्पादन क्लस्टरों से संबंधित कितने नए औद्योगिक गलियारे या आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित या स्थापित किए गए हैं और उनके पूरा होने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (घ): प्रधानमंत्री गति शक्ति और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और उनका समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा देश में उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस्पात एक नियंत्रण-मुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। इस्पात संयंत्र स्थापित करने के संबंध में निर्णय उद्योग द्वारा प्रौद्यो-वाणिज्यिक पहलुओं, जैसे बाजार की मांग, कच्चे माल की उपलब्धता, लॉजिस्टिक संबंधी आवश्यकता आदि के आधार पर लिए जाते हैं। कोई इस्पात उत्पादन क्लस्टर प्रस्तावित या स्थापित नहीं किया गया है। इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।

ii. देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए 'विशेष इस्पात' हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत करना।

जारी.........2/-

iii. केन्द्रीय बजट में अवसंरचना संबंधी विस्तार पर जोर दिया जाना, जिससे इस्पात की खपत में वृद्धि हो सके।

iv. इनपुट लागतों को कम करने के लिए फैरो-निकल और फेरस स्क्रैप जैसे कच्चे माल के आयातों पर मूलभूत सीमा शुल्क में अंशाकन (कैलिब्रेशन) करना।

v. घरेलू इस्पात उद्योग को आयात पर विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने हेतु आयात की निगरानी के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में सुधार करना।

(ख) और (ग): ग्रीन स्टील प्रौद्योगिकियों को अपनाने और बढ़ावा देने तथा कार्बन-गहन विधियों से बदलाव लाने में उद्योग की सहायता के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार हैं:

i. इस्पात मंत्रालय ने कम उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित और वर्गीकृत करने के लिए मानक प्रदान करने हेतु ग्रीन स्टील के लिए वर्गीकरण जारी किया है।

ii. इस्पात मंत्रालय ने "ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप और कार्य योजना" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो वर्ष 2070 तक निवल-शून्य लक्ष्य की ओर ग्रीन स्टील एवं संधारणीयता के लिए भविष्य का रोडमैप प्रदान करती है।

iii. इस्पात मंत्रालय को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2029-30 तक इस्पात क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 455 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस्पात मंत्रालय ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पाँच पायलट परियोजनाएँ प्रदान की हैं।

iv. जनवरी, 2010 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है।

v. विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 जून, 2023 को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) अधिसूचित की गई, जो भारतीय कार्बन बाजार के कामकाज के लिए एक समग्र रूपरेखा प्रदान करती है।

*****